चेनाराम बनाम लोक राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर प्रकरण संख्या 15/2018

13.08.2018 अपीलांट अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर ने कथन किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र 20.06.2018 को प्राप्त हुआ। आवेदित सूचना हेतु संबंधित शाखा प्रभारी से सहायता ली गई। संबंधित शाखा से प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलांट को जरिए पत्रांक/426 दिनांक 04.07.2018 को सूचित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा वांछित सूचना लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में यदि संधारित है तो उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यदि सूचना संधारित नहीं है तो अनुपलब्धा के संबंध में सूचित कर दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में सूचना के अधिकार अधिनियम की पालना की गई है। अत: अपील अपीलांट अस्वीकार की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर के द्वारा प्रस्तुत कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 41 एफ 010358 के संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2018 जो कि रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में दिनांक 20.06.2018 को प्राप्त होना अवगत करवाया है। उक्त आवेदन पत्र के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में रेस्पोडेन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर द्वारा अपीलांट को पत्रांक /426 दिनांक 04.07.2018 को आवेदित सूचनाए शून्य होने बाबत सूचित किया है। सूचना के अधिकार अधिनियम में जो सूचना कार्यालय में उपलब्ध होती है। उसे दिये जाने का प्रावधान है।

प्रस्तुत प्रकरण में आपीलांट द्वारा आवेदित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने पर उपर वर्णित पत्र द्वारा निर्धारित अवधि में सूचित किया जाना पाया जाता है। साथ ही अपीलांट को प्रस्तुत जवाब की प्रति भी भिजवाया जाना पाया जाता है। जिसमें विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। इस प्रकार प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर